

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, अजमेर

कार्यालय आदेश

निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/एफ-1/12247/अनु.नियु. प्रशास/ग्रेड।।।/2020 दिनांक 06-07-2020 एवं संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा अजमेर संभाग अजमेर के पत्र क्रमांक संनिदे/स्कूल शिक्षा/अज/संस्था-3/फा-26/2020/1525 दिनांक 15.07.2020 की अनुपालना में मृतक आश्रित को Lab Assistant (III Gr.) के पद पर अनुकम्पात्मक नियमों के तहत नियुक्ति का अनुमोदन कर जिला आवंटन कर नियुक्ति/पदस्थापन हेतु इस कार्यालय को सुपुर्द किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक: DOP/A-12/06 Dated 20-01-2006 एवं वित्त विभाग (नियम-डिविजन) के नोटिफिकेशन क्रमांक: F-12/(6)FD/Rules/2006 Dated 13-03-2006 के प्रावधानानुसार दो वर्ष तक परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (प्रोवेशनर ट्रेनिज) के रूप में वित्त विभाग के आदेश क्रमांक: F-15(1)FD/Rules/2017/ Jaipur Dated 30-10-2017 के अनुसार L-8 फिक्स रेम्यूनरेशन (नियत स्थिर मानदेय) रुपये 18500/- (Lab Assistant (III Gr.) हेतु) प्रतिमाह पर निम्नानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर नियुक्ति/पदस्थापन हेतु आदेश एतद् जारी किये जाते हैं।

इन्हे परिवीक्षाधीन अवधि में किसी भी प्रकार के भत्ते जैसे विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता (सीसीए), बोनस एवं कार्यग्रहण भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा। इनके फिक्स रेम्यूनरेशन में से राज्य बीमा एवं अंशदायी पेंशन निधि की कटौती नहीं की जायेगी। इन्हे एक कलैण्डर वर्ष में केवल 15 आकस्मिक अवकाश ही देय होंगे इनके अतिरिक्त अन्य कोई भी अवकाश (उपार्जित एवं अर्द्ध वैतनिक अवकाश इत्यादि) देय नहीं होंगे। लेकिन महिला परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को राजस्थान सेवा नियम के नियम 103 व 104 के अन्तर्गत प्रसूति अवकाश देय होगा। परिवीक्षाधीन अवधि वेतन वृद्धि के लिये गणना योग्य नहीं मानी जावेगी।

संस्था प्रधान/कार्यालयध्यक्ष इन्हे कार्यग्रहण कराने से पूर्व निम्नांकित शर्तों की अक्षरतः पालना सुनिश्चित करें-

- 01 राज्य सरकार के मृतक आश्रितों में से Lab Assistant (III Gr.) के पद पर नियुक्ति/पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय आवेदकों के शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी समस्त मूल प्रमाण पत्रों को प्राप्त कर इनकी वैधता/मान्यता की पूर्ण जाँच कर लेवें एवं योग्यता के बारे में नियमानुसार प्रकरण प्राप्त होने व पात्रता रखने पर ही कार्यग्रहण करावें एवं उसकी प्रमाणित छाया प्रति प्राप्त कर सेवाभिलेख का संधारण करें तथा उसकी सेवा पुस्तिका में लाल स्याही से यह इन्द्राज करें कि श्री/श्रीमती/सुश्री को उनके माता/पिता/पति की मृत्यु पर राजस्थान मृत राज्य कर्मचारी आश्रित को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के तहत यह नियुक्ति प्रदान की गयी है एवं व्यक्तिगत पंजिका संधारित करें।
- 02 आशार्थी राज्य से बाहर से अर्जित योग्यताधारी हैं उनसे इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करें कि यदि योग्यता वैध नहीं पायी गयी या न्यूनतम योग्यता के समकक्ष नहीं हुयी तो उन्हें तत्काल प्रभाव से पृथक कर दिया जायेगा।
- 03 कार्मिक विभाग के परिपत्र आदेश दिनांक 27-02-2001 द्वारा जारी निर्देशों की पालना में मृतक के आश्रितों के पालन पोषण/भरण पोषण करने सम्बन्धी शपथ पत्र प्राप्त करें। कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 27-02-2001 की पालना नहीं करने की स्थिति में नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
- 04 कार्मिक विभाग के परिपत्र आदेश दिनांक 27-02-2001 द्वारा जारी निर्देशों की पालना में मृतक के आश्रितों के पालन पोषण/भरण पोषण करने सम्बन्धी शपथ पत्र प्राप्त करें। कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 27-02-2001 की पालना नहीं करने की स्थिति में नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
- 05 मृतक राज्य कर्मचारियों के परिवार का कोई भी सदस्य किसी प्रकार/राज्य/केन्द्र/निगम बोर्ड या उपक्रम में नियोजित नहीं होने तथा बैंक, जीवप बीमा निगम या समकक्ष विभाग में सेवाधीन नहीं हो इस बाबत जाँच आप अपने स्तर पर करें तथा इस हेतु अनुकम्पात्मक नियमों के नियम 5 के अनुसार शपथ पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही नियुक्ति पर कार्यग्रहण करावें (मृतक की पत्नि पर यह नियम लागू नहीं होगा)
- 06 दत्तक पुत्र/पुत्रीयों के सम्बन्ध में वैधता की जाँच हिन्दू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के प्रावधानानुसार करें
- 07 राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक: एफ-7(1) कार्मिक (क-2) (95) दिनांक 08-04-2003 के अनुसार दिनांक 01-06-2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान होने की स्थिति में नियुक्ति के पात्र नहीं माने जायेंगे किन्तु राज्य सरकार (डीओपी) के आदेश दिनांक 29-10-2005 के अनुसार विधवा की नियुक्ति में यह प्रावधान लागू नहीं होंगे।
- 08 वित्त विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक 13(1)FD/Rules/2003 Dated 29-01-2004 के अनुसारेण में दिनांक 01-01-2004 को या उसके बाद नियुक्त कार्मिकों हेतु वर्तमान चिकित्सा पुर्नभरण योजना लागू नहीं होगी इसके स्थान पर हैल्थ इन्श्योरेन्स स्कीम (मेडीक्लेम) लागू रहेगी। दिनांक 01-01-2004 से नियुक्त/भर्ती होने वाले कार्मिकों पर राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक: 13(1)/वित्त/नियम/2003 जयपुर दिनांक 06-05-2003 द्वारा अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
- 09 संस्था प्रधान/कार्यालयाध्यक्ष यह सुनिश्चित कर लेवें कि सम्बन्धित आशार्थीयों को कार्यग्रहण कराने से पूर्व सक्षम अधिकारी (पुलिस अधीक्षक) द्वारा जारी अच्छे आचरण सम्बन्धी प्रमाण पत्र की छाया प्रति प्राप्त करें (मूल इस कार्यालय में सुरक्षित रख लिया गया है)। चरित्र प्रमाण पत्र संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में सेवा समाप्ति का अधिकार नियुक्ति अधिकारी (अधोहस्ताक्षरकर्ता) के पास सुरक्षित रहेगा।
- 10 नियुक्ति पर कार्यग्रहण कराने से पूर्व सम्बन्धित आशार्थी से सक्षम अधिकारी का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
- 11 मृतक की पुत्री को नियुक्ति पर कार्यग्रहण कराते समय अविवाहित होने का शपथ पत्र प्राप्त करना होगा।
- 12 मृतक की विधवा का पदस्थापन पर कार्यग्रहण कराते समय पुनः विवाह नहीं करने का शपथ पत्र प्राप्त किया जावे। (विधवा की नियुक्ति होने की स्थिति)।
- 13 राज्य सरकार के आदेश क्रमांक: प.7(3) कार्मिक/क-2706/पार्ट (77)/2013 दिनांक 04-10-2013 के अनुसार गुटका/तम्बाकू सेवन नहीं करने की वचन बद्धता देनी होगी
- 14 वित्त विभाग के आदेश क्रमांक: F-15(1)FD/Rules/2017/ Jaipur Dated 30-10-2017 के अनुसार प्रोवेशन ट्रेनी के फिक्स रेम्यूनरेशन से पेंशन अंशदान की कटौती नियमानुसार करनी होगी।

विवरण	नियुक्ति/पदस्थापन आदेश के साथ आशार्थी का मूल आवेदन पर एवं उसके साथ संलग्न समस्त दस्तावेज संस्था प्रधान/कार्यालयाध्यक्ष को प्रेषित कर लेख है कि इस आवेदन पत्र को कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में सुरक्षित संघारित करें तथा आवेदन पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों की एक फोटो प्रति, पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र एवं आशार्थी द्वारा धूमपान, गुटका व तम्बाकू सेवन नहीं करने सम्बन्धी वचन बढ़ता की एक प्रति आशार्थी के कार्यग्रहण करते ही वाहक स्तर पर इस कार्यालय की संस्थापन शाखा में आवश्यक रूप से भिजवावें।
-------	--

यह आदेश प्रसारित होने की तिथि से पन्द्रह (15) दिवस में सम्बन्धित अभ्यार्थी को अपने पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करना होगा अन्यथा यह आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे। अन्तिम तिथि के दिन राजपत्रित अवकाश होने की स्थिति में आगामी कार्यदिवस कार्यग्रहण हेतु मान्य होगा।

स्थिर पारिश्रमिक 18500/-रु० प्रतिमाह (Lab Assistant (III Gr.) ग्रेड हेतु)

क्रं.	नाम आशार्थी मय पिता/पति का नाम एवं पूर्ण पता	जन्मतिथि	जाति	योग्यता	मृतक से संबंध	मृत राज्य कर्मचारी का नाम स्व. श्री/श्रीमती एवं अन्तिम पदस्थापन स्थान व निधन की तिथि	नियुक्ति का पद मय वेतन शृंखला	नियुक्ति पर पदस्थापन स्थान
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	LUCKY KUMAR S/O Late MOHAN KUMAR 577/2, RAMNAGAR, PUSHKAR ROAD AJMER 9785108197	26-10-99	SC	12 TH Sci 2018 CBSC	SON	Late MOHAN KUMAR Senior Assistant CBEO HURDA BHILWARA Death 05-01-2020	Lab Assistant (III Gr.) 18500/- नियत स्थिर मानदेय प्रतिमाह	G. HR. SEC. SCHOOL PUSHKAR (Peesangan)
02	AMIT KUMAR S/O Late THAKUR PRASAD GANESH NAGAR, RAMGANJ THANE KE PICHE, TARAGARH ROAD AJMER 6350494387	30-08-97	OBC	12 TH Sci 2015 RBSE	SON	Late THAKUR PRASAD Class IV GSS ADARSHNAGAR AJMER Death 15-03-2020	Lab Assistant (III Gr.) 18500/- नियत स्थिर मानदेय प्रतिमाह	G. RAJENDRA HR. SEC. SCHOOL AJMER

(देवीसिंह)

जिला शिक्षा अधिकारी

(मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, अजमेर

दिनांक 27-07-2020

क्रमांक-जिशिअ/मु/माशि/अज/संस्था-1/फा-अनु.नियु.01/2020-21/ 214

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- 01 उप शासन सचिव शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर।
- 02 निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर
- 03 संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा अजमेर संभाग अजमेर।
- 04 मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा अभियान AJMER
- 05 सम्बन्धित मुख्य ब्लाक जिला शिक्षा अधिकारी BHILWARA/AJMER
- 06 सम्बन्धित संस्था प्रधान/कार्यालयाध्यक्ष/..... को मूल अनुकम्पात्मक नियुक्ति आवेदन पत्र मय दस्तावेज एवं नियुक्ति आदेश रजिस्टर्ड डाक द्वारा भिजवाकर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित को कार्यग्रहण कराते हुए विभागीय वैबसाईट शाला दर्पण/शाला दर्शन पर इन्द्राज कराना सुनिश्चित करें।
- 07 सम्बन्धित आशार्थी को उपरोक्त पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा एवं जरिए मेल संबंधित के
- 08 प्रभारी संस्था-3 अनुभाग कार्यालय हाजा
- 09 निर्देशन पत्रावली

(देवीसिंह)

जिला शिक्षा अधिकारी

(मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, अजमेर

कार्यालय आदेश

निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक: शिविरा-माध्य/साप्र/ए-4/3901/नियुक्ति मूल/2020 दिनांक 06.07.2020 एवं 20.07.2020 की अनुपालना में पृष्ठांकित मृतक आश्रित को **Junior Assistant** के पद पर अनुकम्पात्मक नियमों के तहत नियुक्ति का अनुमोदन कर जिला आवंटन कर नियुक्ति/पदस्थापन हेतु इस कार्यालय को सुपुर्द किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक: DOP/A-12/06 Dated 20-01-2006 एवं वित्त विभाग (नियम-डिविजन) के नोटिफिकेशन क्रमांक: F-12/(6)FD/Rules/2006 Dated 13-03-2006 के प्रावधानानुसार दो वर्ष तक परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (प्रोवेशनर ट्रेनिज) के रूप में वित्त विभाग के आदेश क्रमांक: F-15(1)FD/ Rules/ 2017/ Jaipur Dated 30-10-2017 के अनुसार L-5 फिक्स रेम्यूनरेशन (नियत स्थिर मानदेय) रुपये 14600/- (**Junior Assistant** हेतु) प्रतिमाह पर निम्नानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर नियुक्ति/पदस्थापन हेतु आदेश एतद् जारी किये जाते हैं।

इन्हे परीक्षाधीन अवधि में किसी भी प्रकार के भत्ते जैसे विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता (सीसीए), बोनस एवं कार्यग्रहण भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा। इनके फिक्स रेम्यूनरेशन में से राज्य बीमा एवं अंशदायी पेंशन निधि की कटौती नहीं की जायेगी। इन्हे एक कलेण्डर वर्ष में केवल 15 आकरिमक अवकाश ही देय होंगे इनके अतिरिक्त अन्य कोई भी अवकाश (उपाजित एवं अर्द्ध वैतनिक अवकाश इत्यादि) देय नहीं होंगे। लेकिन महिला परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को राजस्थान सेवा नियम के नियम 103 व 104 के अन्तर्गत प्रसूति अवकाश देय होगा। परीक्षाधीन अवधि वेतन वृद्धि के लिये गणना योग्य नहीं मानी जावेगी।

- 01 संस्था प्रधान/कार्यालयध्यक्ष इन्हे कार्यग्रहण कराने से पूर्व निम्नांकित शर्तों की अक्षरतः पालना सुनिश्चित करें-
राज्य सरकार के मृतक आश्रितों में से कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति/पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय आवेदकों के शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी समस्त मूल प्रमाण पत्रों को प्राप्त कर इनकी वैधता/मान्यता की पूर्ण जाँच कर लेवें एवं योग्यता के बारे में नियमानुसार प्रकरण प्राप्त होने व पात्रता रखने पर ही कार्यग्रहण करावें एवं उसकी प्रमाणित छाया प्रति प्राप्त कर सेवामिलेख का संधारण करेंगे तथा उसकी सेवा पुस्तिका में लाल स्याही से यह इन्द्राज करेंगे कि श्री/श्रीमती/सुश्री को उनके माता/पिता/पति की मृत्यु पर राजस्थान मृत राज्य कर्मचारी आश्रित को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के तहत यह नियुक्ति प्रदान की गयी है एवं व्यक्तिगत पंजिका संधारित करेंगे।
- 02 आशार्थी राज्य से बाहर से अर्जित योग्यताधारी हैं उनसे इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करें कि यदि योग्यता वैध नहीं पायी गयी या न्यूनतम योग्यता के समकक्ष नहीं हुयी तो उन्हें तत्काल प्रभाव से पृथक कर दिया जायेगा।
- 03 कार्मिक विभाग के परिपत्र आदेश दिनांक 27-02-2001 द्वारा जारी निर्देशों की पालना में मृतक के आश्रितों के पालन पोषण/भरण पोषण करने सम्बन्धी शपथ पत्र प्राप्त करेंगे। कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 27-02-2001 की पालना नहीं करने की स्थिति में नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
- 04 कार्मिक विभाग के परिपत्र आदेश दिनांक 27-02-2001 द्वारा जारी निर्देशों की पालना में मृतक के आश्रितों के पालन पोषण/भरण पोषण करने सम्बन्धी शपथ पत्र प्राप्त करेंगे। कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 27-02-2001 की पालना नहीं करने की स्थिति में नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
- 05 मृतक राज्य कर्मचारियों के परिवार का कोई भी सदस्य किसी प्रकार/राज्य/केन्द्र/निगम बोर्ड या उपक्रम में नियोजित नहीं होने तथा बैंक, जीवन बीमा निगम या समकक्ष विभाग में सेवाधीन नहीं हो इस बाबत जाँच आप अपने स्तर पर करेंगे तथा इस हेतु अनुकम्पात्मक नियमों के नियम 5 के अनुसार शपथ पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही नियुक्ति पर कार्यग्रहण करावें (मृतक की पत्नि पर यह नियम लागू नहीं होगा)।
- 06 दत्तक पुत्र/पुत्रीयों के सम्बन्ध में वैधता की जाँच हिन्दू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के प्रावधानानुसार करेंगे
- 07 राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक: एफ-7(1) कार्मिक (क-2) (95) दिनांक 08-04-2003 के अनुसार दिनांक 01-06-2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान होने की स्थिति में नियुक्ति के पात्र नहीं माने जायेंगे किन्तु राज्य सरकार (डीओपी) के आदेश दिनांक 29-10-2005 के अनुसार विधवा की नियुक्ति में यह प्रावधान लागू नहीं होंगे।
- 08 वित्त विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक 13(1)FD/Rules/2003 Dated 29-01-2004 के अनुसारण में दिनांक 01-01-2004 को या उसके बाद नियुक्त कार्मिकों हेतु वर्तमान चिकित्सा पुनर्भरण योजना लागू नहीं होगी इसके स्थान पर हेल्थ इन्श्योरेंस स्कीम (मेडीक्लेम) लागू रहेगी। दिनांक 01-01-2004 से नियुक्त/भर्ती होने वाले कार्मिकों पर राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक: 13(1)/वित्त/नियम/2003 जयपुर दिनांक 06-05-2003 द्वारा अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
- 09 संस्था प्रधान/कार्यालयध्यक्ष यह सुनिश्चित कर लेवें कि सम्बन्धित आशार्थियों को कार्यग्रहण कराने से पूर्व सक्षम अधिकारी (पुलिस अधीक्षक) द्वारा जारी अच्छे आचरण सम्बन्धी प्रमाण पत्र की छाया प्रति प्राप्त करें (मूल इस कार्यालय में सुरक्षित रख लिया गया है)। चरित्र प्रमाण पत्र संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में सेवा समाप्ति का अधिकार नियुक्ति अधिकारी (अधोहस्ताक्षरकर्ता) के पास सुरक्षित रहेगा।
- 10 नियुक्ति पर कार्यग्रहण कराने से पूर्व सम्बन्धित आशार्थी से सक्षम अधिकारी का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
- 11 मृतक की पुत्री को नियुक्ति पर कार्यग्रहण कराते समय अविवाहित होने का शपथ पत्र प्राप्त करना होगा।
- 12 मृतक की विधवा का पदस्थापन पर कार्यग्रहण कराते समय पुनर्विवाह नहीं करने का शपथ पत्र प्राप्त किया जावे। (विधवा की नियुक्ति होने की स्थिति)।
- 13 राज्य सरकार के आदेश क्रमांक: प.7(3) कार्मिक/क-2706/पार्ट (77)/2013 दिनांक 04-10-2013 के अनुसार गुटका/ तम्बाकू सेवन नहीं करने की वचन बढ़ता देनी होगी
- 14 प्रोवेशन ट्रेनी के फिक्स रेम्यूनरेशन से पेंशन अंशदान की कटौती होगी।
- 15 **Junior Assistant** के पद पर नियुक्त अग्यार्थी राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक: एफ.7(2) कार्मिक/ए-11/2006 दिनांक 05-07-2010 के अनुसार शैक्षिक योग्यता प्राप्त होना चाहिये तथा उक्त नियमों के अन्तर्गत कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक:-02-01-2017 & 04-05-2017 के अनुसार मृतक आश्रित को कम्प्यूटर कोर्स उत्तीर्ण करने की अर्हता नियुक्ति के पश्चात 02 वर्ष की अवधि में अर्जित करनी होगी। यदि उक्त अवधि में कम्प्यूटर योग्यता अर्जित नहीं करता है तो जितनी विलम्ब अवधि से वह कम्प्यूटर योग्यता अर्जित करेगा उसका परीक्षाकाल उतनी ही अवधि का आगे बढ़ जावेगा।
- 16 **Junior Assistant** के पद पर नियुक्त अग्यार्थी की टंकण परीक्षा अब अधिसूचना दिनांक 05-07-2010 & 21-09-2010 के अनुसार कम्प्यूटर से ली जावेगी। जिसे आश्रित को नियुक्ति के 03 वर्ष की अवधि में उत्तीर्ण करनी अनिवार्य होगी अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जावेंगे। इन्हे आगामी वेतन वृद्धि कम्प्यूटर से टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात ही देय होगी। कार्मिक (क-2) विभाग राजस्थान जयपुर की अधिसूचना दिनांक 07-09-2009 के अनुसार मृत राज्य कर्मचारी की विधवा को टंकण परीक्षा करने से छूट दी जायेगी।

कृ०पृ०उ०

- 17 राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-5(51)डीओपी/ए-11/86 पीटी जयपुर दिनांक 08-04-2015 के अनुसार नियम 05 में हुए संशोधन की पालना सुनिश्चित करें।
- 18 कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक प05(51)कार्मिक/क-2/88 पार्ट जयपुर दिनांक 31-05-2016 के अनुसार आवेदक विवाहित है तो उसकी पत्नी/पुत्र/अविवाहित पुत्री यदि पूर्व से ही (नियम-5 में यथा परिभाषित) नियोजित है, को मृतक कर्मचारी पर पूर्णतया आश्रित न होने के कारण नियम 2(ग) के तहत आश्रित की श्रेणी में नहीं माना जावेगा फलतः ऐसे पुत्र को अनुकम्पात्मक नियुक्ति देय नहीं होगी।

विशेष	नियुक्ति/पदस्थापन आदेश के साथ आशार्थी का मूल आवेदन पर एवं उसके साथ संलग्न समस्त दस्तावेज संस्था प्रधान/कार्यालयाध्यक्ष को प्रेषित कर लेख है कि इस आवेदन पत्र को कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में सुरक्षित संघारित करें तथा आवेदन पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों की एक फोटो प्रति, पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र एवं आशार्थी द्वारा धूमपान, गुटका व तम्बाकू सेवन नहीं करने सम्बन्धी वचन बद्धता की एक प्रति आशार्थी के कार्यग्रहण करते ही वाहक स्तर पर इस कार्यालय की संस्थापन शाखा में आवश्यक रूप से भिजवावे।
-------	--

यह आदेश प्रसारित होने की तिथि से पन्द्रह (15) दिवस में सम्बन्धित अभ्यर्थी को अपने पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करना होगा अन्यथा यह आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेगा। अन्तिम तिथि के दिन राजपत्रित अवकाश होने की स्थिति में आगामी कार्यदिवस कार्यग्रहण हेतु मान्य होगा

स्थिर पारिश्रमिक 14600/-रु० प्रतिमाह (Junior Assistant हेतु)

क्र. सं.	नाम आशार्थी मय पिता/पति कानाम एवं पूर्ण पता	जन्मतिथि	योग्यता	जाति	मृतक से संबंध	मृत राज्य कर्मचारी का नाम स्व० श्री/श्रीमती एवं अंतिम पदस्थापन स्थान व निधन की तिथि	नियुक्ति का पद मय वेतन श्रृंखला	नियुक्ति पर पदस्थापन स्थान
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	ASHA WILSON D/O Late HELINA WILSON 285/2-A-46 J.P.NAGAR HOUSING BOARD, NAKA MADAR AJMER 8949055230	04-12-92	12 TH 2010 RBSE BA 2013 MA(His) 2015 LLB 2019	GEN	Daughter	Late HELINA WILSON Class IV GGHSS Model AJMER Death 18-03-2020	Junior Assistant	G.SINDHI SR.SEC.SCHOOL, KHARIKUI,AJMER
02	AJAYPAL GURJAR S/O Late Manohar Lal Gurjar Mukam Nadi, Po Kalera Kanwarji, Teh Sawar (Kekri) Dist AJMER 8824528618	08-09-92	12 TH RBSE 2011 RSCIT 10-03-17 CLEAR	SBC	SON	Late Manohar Lal Gurjar Junior Assistant GHSS NAKAKHEDA-KEKRI Death 15-10-2019	Junior Assistant	G.H.SEC.SCHOOL BHARAI (KEKRI)
03	VED PRAKASH SEN S/O Late DINESH CHAND SEN GRAM GOLA VIA KHARWA BLOCK PEESANGAN DIST AJMER 9928580738	29-07-91	12 TH RBSE 2009 M.A. Pol 2017 B.Ed 2013 RSCIT 28-6-16	OBC	SON	Late DINESH CHAND SEN Junior Assistant GHSS OOPANAGAR JAWAJA Death 18-11-2019	Junior Assistant	G. HR.SEC.SCHOOL BHATSURI (PEESANGAN)

(देवीसिंह)

जिला शिक्षा अधिकारी

(मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा अजमेर

क्रमांक-जिशाअ/मु/माशि/अज/संस्था-1/फा-अनु.नियु.01/2020-21/

213

दिनांक 27-07-2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- 01 उप शासन सचिव शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर को एक प्रति सूचनार्थ।
- 02 उप शासन सचिव कार्मिक (क-2) विभाग शासन सचिवालय राज० जयपुर को एक प्रति सूचनार्थ।
- 03 निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को दो प्रतियों में सूचनार्थ।
- 03 संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा अजमेर संभाग AJMER।
- 04 मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा अभियान AJMER
- 05 जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) Sec Edu -----/ Ele Edu AJMER/ सम्बन्धित CBEO -----।
- 06 सम्बन्धित संस्था प्रधान/कार्यालयाध्यक्ष/----- को मूल अनुकम्पात्मक नियुक्ति आवेदन पत्र मय दस्तावेज एवं नियुक्ति आदेश रजिस्टर्ड डाक द्वारा भिजवाकर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित को कार्यग्रहण कराते हुए विभागीय वेबसाईट पोर्टल शाला दर्पण/शाला दर्शन पर इन्द्राज कराना सुनिश्चित करें।
- 07 सम्बन्धित आशार्थी को उपरोक्त पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा
- 08 प्रभारी संस्था-3 अनुभाग कार्यालय हाजा/निर्देशन पत्रावली

(देवीसिंह)

जिला शिक्षा अधिकारी

(मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा अजमेर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, अजमेर

कार्यालय आदेश

निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/एफ-1/12247/अनु.नियु. प्रशास/ग्रेड।।।/2020 दिनांक 06-07-2020 एवं संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा अजमेर संभाग अजमेर के पत्र क्रमांक संनिदे/स्कूल शिक्षा/अज/संस्था-3/फा-26/2020/1525 दिनांक 15.07.2020 की अनुपालना में मृतक आश्रित को Lab Assistant (III Gr.) के पद पर अनुकम्पात्मक नियमों के तहत नियुक्ति का अनुमोदन कर जिला आवंटन कर नियुक्ति/पदस्थापन हेतु इस कार्यालय को सुपुर्द किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक: DOP/A-12/06 Dated 20-01-2006 एवं वित्त विभाग (नियम-डिविजन) के नोटिफिकेशन क्रमांक: F-12(6)FD/Rules/2006 Dated 13-03-2006 के प्रावधानानुसार दो वर्ष तक परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (प्रोवेशनर ट्रेनिज) के रूप में वित्त विभाग के आदेश क्रमांक: F-15(1)FD/Rules/2017/ Jaipur Dated 30-10-2017 के अनुसार L-8 फिक्स रेम्यूनरेशन (नियत स्थिर मानदेय) रुपये 18500/- (Lab Assistant (III Gr.) हेतु) प्रतिमाह पर निम्नानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर नियुक्ति/पदस्थापन हेतु आदेश एतद् जारी किये जाते हैं।

इन्हे परिवीक्षाधीन अवधि में किसी भी प्रकार के भत्ते जैसे विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता (सीसीए), बोनस एवं कार्यग्रहण भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा। इनके फिक्स रेम्यूनरेशन में से राज्य बीमा एवं अंशदायी पेंशन निधि की कटौती नहीं की जायेगी। इन्हे एक कलैण्डर वर्ष में केवल 15 आकस्मिक अवकाश ही देय होंगे इनके अतिरिक्त अन्य कोई भी अवकाश (उपार्जित एवं अर्द्ध वैतनिक अवकाश इत्यादि) देय नहीं होंगे। लेकिन महिला परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को राजस्थान सेवा नियम के नियम 103 व 104 के अन्तर्गत प्रसूति अवकाश देय होगा। परिवीक्षाधीन अवधि वेतन वृद्धि के लिये गणना योग्य नहीं मानी जावेगी।

संस्था प्रधान/कार्यालयाध्यक्ष इन्हे कार्यग्रहण कराने से पूर्व निम्नांकित शर्तों की अक्षरतः पालना सुनिश्चित करें-

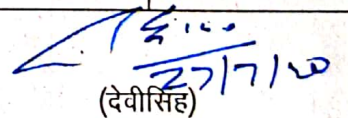
- 01 राज्य सरकार के मृतक आश्रितों में से Lab Assistant (III Gr.) के पद पर नियुक्ति/पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय आवेदकों के शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी समस्त मूल प्रमाण पत्रों को प्राप्त कर इनकी वैधता/मान्यता की पूर्ण जाँच कर लेवें एवंम् योग्यता के बारे में नियमानुसार प्रकरण प्राप्त होने व पात्रता रखने पर ही कार्यग्रहण करावें एवं उसकी प्रमाणित छाया प्रति प्राप्त कर सेवाभिलेख का संधारण करेंगे तथा उसकी सेवा पुस्तिका में लाल स्याही से यह इन्दाज करेंगे कि श्री/श्रीमती/सुश्री को उनके माता/पिता/पति की मृत्यु पर राजस्थान मृत राज्य कर्मचारी आश्रित को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के तहत यह नियुक्ति प्रदान की गयी है एवंम् व्यक्तिगत पंजिका संधारित करेंगे।
- 02 आशार्थी राज्य से बाहर से अर्जित योग्यताधारी हैं उनसे इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करें कि यदि योग्यता वैध नहीं पायी गयी या न्यूनतम योग्यता के समकक्ष नहीं हुयी तो उन्हें तत्काल प्रभाव से पृथक कर दिया जायेगा।
- 03 कार्मिक विभाग के परिपत्र आदेश दिनांक 27-02-2001 द्वारा जारी निर्देशों की पालना में मृतक के आश्रितों के पालन पोषण/भरण पोषण करने सम्बन्धी शपथ पत्र प्राप्त करेंगे। कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 27-02-2001 की पालना नहीं करने की स्थिति में नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
- 04 कार्मिक विभाग के परिपत्र आदेश दिनांक 27-02-2001 द्वारा जारी निर्देशों की पालना में मृतक के आश्रितों के पालन पोषण/भरण पोषण करने सम्बन्धी शपथ पत्र प्राप्त करेंगे। कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 27-02-2001 की पालना नहीं करने की स्थिति में नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
- 05 मृतक राज्य कर्मचारियों के परिवार का कोई भी सदस्य किसी प्रकार/राज्य/केन्द्र/निगम बोर्ड या उपक्रम में नियोजित नहीं होने तथा बैंक, जीवप बीमा निगम या समकक्ष विभाग में सेवाधीन नहीं हो इस बाबत जाँच आप अपने स्तर पर करेंगे तथा इस हेतु अनुकम्पात्मक नियमों के नियम 5 के अनुसार शपथ पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही नियुक्ति पर कार्यग्रहण करावें (मृतक की पत्नि पर यह नियम लागू नहीं होगा)।
- 06 दत्तक पुत्र/पुत्रीयों के सम्बन्ध में वैधता की जाँच हिन्दू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के प्रावधानानुसार करेंगे
- 07 राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक: एफ-7(1) कार्मिक (क-2) (95) दिनांक 08-04-2003 के अनुसार दिनांक 01-06-2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान होने की स्थिति में नियुक्ति के पात्र नहीं माने जायेंगे किन्तु राज्य सरकार (डीओपी) के आदेश दिनांक 29-10-2005 के अनुसार विधवा की नियुक्ति में यह प्रावधान लागू नहीं होंगे।
- 08 वित्त विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक 13(1)FD/Rules/2003 Dated 29-01-2004 के अनुसरण में दिनांक 01-01-2004 को या उसके बाद नियुक्त कार्मिकों हेतु वर्तमान चिकित्सा पुनर्भरण योजना लागू नहीं होगी इसके स्थान पर हैल्थ इन्श्योरेंस स्कीम (मेडीक्लेम) लागू रहेगी। दिनांक 01-01-2004 से नियुक्त/भर्ती होने वाले कार्मिकों पर राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक: 13(1)/वित्त/नियम/2003 जयपुर दिनांक 06-05-2003 द्वारा अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
- 09 संस्था प्रधान/कार्यालयाध्यक्ष यह सुनिश्चित कर लेवें कि सम्बन्धित आशार्थियों को कार्यग्रहण कराने से पूर्व सक्षम अधिकारी (पुलिस अधीक्षक) द्वारा जारी अच्छे आचरण सम्बन्धी प्रमाण पत्र की छाया प्रति प्राप्त करें (मूल इस कार्यालय में सुरक्षित रख लिया गया है)। चरित्र प्रमाण पत्र संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में सेवा समाप्ति का अधिकार नियुक्ति अधिकारी (अधोहस्ताक्षरकर्ता) के पास सुरक्षित रहेगा।
- 10 नियुक्ति पर कार्यग्रहण कराने से पूर्व सम्बन्धित आशार्थी से सक्षम अधिकारी का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
- 11 मृतक की पुत्री को नियुक्ति पर कार्यग्रहण कराते समय अविवाहित होने का शपथ पत्र प्राप्त करना होगा।
- 12 मृतक की विधवा का पदस्थापन पर कार्यग्रहण कराते समय पुनःविवाह नहीं करने का शपथ पत्र प्राप्त किया जावे। (विधवा की नियुक्ति होने की स्थिति)।
- 13 राज्य सरकार के आदेश क्रमांक: प.7(3) कार्मिक/क-2706/पार्ट (77)/2013 दिनांक 04-10-2013 के अनुसार गुटका/तम्बाकू सेवन नहीं करने की वचन बढ़ता देनी होगी
- 14 वित्त विभाग के आदेश क्रमांक: F-15(1)FD/Rules/2017/ Jaipur Dated 30-10-2017 के अनुसार प्रोवेशन ट्रेनी के फिक्स रेमुनरेशन से पेंशन अंशदान की कटौती नियमानुसार करनी होगी।

विशेष	नियुक्ति/पदस्थापन आदेश के साथ आशार्थी का मूल आवेदन पर एवं उसके साथ संलग्न समस्त दस्तावेज संस्था प्रधान/कार्यालयाध्यक्ष को प्रेषित कर लेख है कि इस आवेदन पत्र को कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में सुरक्षित संघारित करें तथा आवेदन पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों की एक फोटो प्रति, पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र एवं आशार्थी द्वारा धूमपान, गुटका व तम्बाकू सेवन नहीं करने सम्बन्धी वचन बढ़ता की एक प्रति आशार्थी के कार्यग्रहण करते ही वाहक स्तर पर इस कार्यालय की संस्थापन शाखा में आवश्यक रूप से भिजवावें ।
-------	---

यह आदेश प्रसारित होने की तिथि से पन्द्रह (15) दिवस में सम्बन्धित अभ्यार्थी को अपने पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करना होगा अन्यथा यह आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे । अन्तिम तिथि के दिन राजपत्रित अवकाश होने की स्थिति में आगामी कार्यदिवस कार्यग्रहण हेतु मान्य होगा ।

स्थिर पारिश्रमिक 18500/-रु० प्रतिमाह (Lab Assistant (III Gr.) ग्रेड हेतु)

क्र.सं.	नाम आशार्थी मय पिता/पति का नाम एवं पूर्ण पता	जन्मतिथि	जाति	योग्यता	मृतक से संबंध	मृत राज्य कर्मचारी का नाम स्व. श्री/श्रीमती एवं अन्तिम पदस्थापन स्थान व निधन की तिथि	नियुक्ति का पद मय वेतन शृंखला	नियुक्ति पर पदस्थापन स्थान
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	OM VATI W/O Late NAREMDRA SINGH HADA 1-D-7 JAWAHAR NAGAR HOUSINGH BOARD, NAINWA ROAD, BUNDI 9413127485	01-07-77	GEN	12 TH Sci 1996 RBSE Bsc 99 Bed09 (Bhopal)	Wife	Late NAREMDRA SINGH HADA LEC CHEM GHSS BUNDI Death 14-12-2019	Lab Assistant (III Gr.) 18500/- नियत स्थिर मानदेय प्रतिमाह	G.GIRLS SR.SEC SCHOOL .KEKRI
02	AMIT SHUKLA S/O Late KAMLESH SHARMA C/O MAHENDRA JUMAR SHUKLA, RANTHAMBHOR GANESH COLONY, DELWARA ROAD, BEAWAR 305901 9261565220	05-04-95	GEN	12 TH Sci 2013 RBSE B.tec Diploma	SON	Late KAMLESH SHARMA LDC GHSS SENDARA PALI Death 23-12-2019	Lab Assistant (III Gr.) 18500/- नियत स्थिर मानदेय प्रतिमाह	GOVT. JAIN GURUKUL HR.SEC. SCHOOL BEAWAR (JAWAJA)
03	DEEPSHIKHA SANKHLA D/O Late MAYA SANKHLA C/O SURENDRA SINGH SANKHLA 811/29 SANKHLA BHAWAN, PURANE MANDIR KE PAS, MEYO LINK ROAD, AJMER 9530487895	19-09-94	OBC	12 TH Sci 2019 Open School	Daughter	Late MAYA SANKHLA Tea L-1 GHSS BHAGWANGANJ AJMER Death 19-01-2019	Lab Assistant (III Gr.) 18500/- नियत स्थिर मानदेय प्रतिमाह	G.G.HR.SEC. S.GULABBARI AJMER

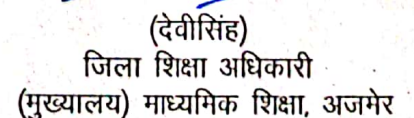

(देवीसिंह)

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, अजमेर
दिनांक 27-07-2020

क्रमांक-जिशिअ/मु/माशि/अज/संस्था-1/फा-अनु.नियु.01/2020-21/ 212

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- 01 उप शासन सचिव शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर ।
- 02 निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर
- 03 संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा अजमेर संभाग अजमेर ।
- 04 मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा अभियान AJMER
- 05 सम्बन्धित मुख्य ब्लाक जिला शिक्षा अधिकारी PALI/BUNDI/AJMER
- 06 सम्बन्धित संस्था प्रधान/कार्यालयाध्यक्ष/..... को मूल अनुकम्पात्मक नियुक्ति आवेदन पत्र मय दस्तावेज एवं नियुक्ति आदेश रजिस्टर्ड डाक द्वारा भिजवाकर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित को कार्यग्रहण कराते हुए विभागीय वेबसाईट शाला दर्पण/शाला दर्शन पर इन्द्राज कराना सुनिश्चित करें ।
- 07 सम्बन्धित आशार्थी को उपरोक्त पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा एवं जरिए मेल संबंधित के
- 08 प्रभारी संस्था-3 अनुभाग कार्यालय हाजा
- 09 निर्देशन पत्रावली


(देवीसिंह)
जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, अजमेर